फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)

कन्हैयालाल बनाम सूवा व अन्य
दीवानी वाद संख्या 34/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.07.2024	वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी/वारिसान प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। जिस पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 सुवा पुत्र छीतर का स्वर्गवास दिनांक 07.12.2019 को हो गया है, जिसके स्वर्गवास से विधिक समयावधि में यह हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना में वर्णित वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे। इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी/वारिसान ने उक्त प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध करते हुए उसे खारिज किए जाने की प्रार्थना की। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/वादी ने यह प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 सुआ पुत्र छीतर के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने बाबत प्रस्तुत किया है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का स्वर्गवास दिनांक 07.12.2019 होना बताया है एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र विधिक समयावधि में 14 जनवरी, 2020 को प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वारिसान के अलावा अन्य कोई वारिस होना अधिवक्ता अप्रार्थी/वारिसान ने जाहिर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 सुआ पुत्र छीतर के विधिक वारिसान को प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 के रूप में रिकार्ड पर लिया जाता है। आदेश सुनाया गया। वादी विहित समयावधि में संशोधित उनवान पेश करें। अधिवक्ता अप्रार्थी/वारिसान ने इन वारिसान की ओर से वकालतनामा आगामी पेशी पर पेश करने हेतु निवेदन किया, जो स्वीकार किया। पत्रावली वास्ते प्रस्तुत होने संशोधित शीर्षक/उनवान 30.07.2024 को पेश हो। (संदीप आनन्द)	